# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

**षष्ठम् विधान सभा** **दशम् सत्र**

**सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026**

**(आषाढ़ 22, शक सम्वत् 1948)**

**[अंक 01]**

Webcopy

## विधान सभा के पदाधिकारी

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | डॉ. रमन सिंह |
| सचिव | श्री दिनेश शर्मा |

## सभापति तालिका

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**माननीय राज्यपाल**

श्री रमेन डेका

**मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री | सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, ल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत निवारण एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो. |
| 02. | श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री | लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण. |
| 03. | श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री | गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. |
| 04. | श्री रामविचार नेताम, मंत्री | आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास. |
| 05. | श्री दयाल दास बघेल, मंत्री | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. |
| 06. | श्री केदार कश्यप, मंत्री | वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य. |
| 07. | श्री लखनलाल देवांगन, मंत्री | वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम. |
| 08. | श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन. |
| 09. | श्री ओ. पी. चौधरी, मंत्री | वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी. |
| 10. | श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री | महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण. |
| 11. | श्री टंक राम वर्मा, मंत्री | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा. |
| 12. | श्री गजेन्द्र यादव, मंत्री | स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य. |
| 13. | श्री गुरू खुशवंत साहेब, मंत्री | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास. |
| 14. | श्री राजेश अग्रवाल, मंत्री | पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व. |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

## सदस्यों की वर्णात्मक सूची
## (निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

### अ

| | | |
|---|---|---|
| 01. | अंबिका मरकाम, श्रीमती | 56-सिहावा (अ.ज.जा.) |
| 02. | अजय चन्द्राकर | 57-कुरूद |
| 03. | अटल श्रीवास्तव | 25-कोटा |
| 04. | अनिला भेंडिया, श्रीमती | 60-डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.) |
| 05. | अनुज शर्मा | 47-धरसींवा |
| 06. | अमर अग्रवाल | 30-बिलासपुर |
| 07. | अरूण साव | 26-लोरमी |
| 08. | आशाराम नेताम | 81-कांकेर (अ.ज.जा.) |

### इ

| | | |
|---|---|---|
| 01. | इंद्र कुमार साहू | 53-अभनपुर |
| 02. | इंद्र साव | 46-भाटापारा |
| 03. | इन्द्रशाह मंडावी | 78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.) |
| 04. | ईश्वर साहू | 68-साजा |

### उ

| | | |
|---|---|---|
| 01. | उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती | 17-सारंगढ़ (अ.जा.) |
| 02. | उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती | 08-सामरी (अ.ज.जा.) |
| 03 | उमेश पटेल | 18-खरसिया |

### ओ

| | | |
|---|---|---|
| 01. | ओंकार साहू | 58-धमतरी |
| 02. | ओ.पी.चौधरी | 16-रायगढ़ |

### क

| | | |
|---|---|---|
| 01. | कवासी लखमा | 90-कोन्टा (अ.ज.जा.) |
| 02. | कविता प्राण लहरे, श्रीमती | 43-बिलाईगढ़ (अ.जा.) |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

| | | |
|---|---|---|
| 03. | किरण देव | 86-जगदलपुर |
| 04. | कुंवर सिंह निषाद | 61-गुण्डरदेही |
| 05. | केदार कश्यप | 84-नारायणपुर (अ.ज.जा.) |

**ग**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | गजेन्द्र यादव | 64-दुर्ग शहर |
| 02. | गुरू खुशवंत साहेब | 52-आरंग (अ.जा.) |
| 03. | गोमती साय, श्रीमती | 14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.) |

**च**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | चरणदास महंत, डॉ. | 35-सक्ती |
| 02. | चातुरी नंद, श्रीमती | 39-सराईपाली (अ.जा.) |
| 03. | चैतराम अटामी | 88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.) |

**ज**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | जनक ध्रुव | 55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.) |

**ट**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | टंक राम वर्मा | 45-बलौदाबाजार |

**ड**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | डोमनलाल कोर्सवाड़ा | 67-अहिवारा (अ.जा.) |

**त**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम | 23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.) |

**द**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | दयाल दास बघेल | 70-नवागढ़ (अ.जा.) |
| 02. | दलेश्वर साहू | 76-डोंगरगांव |

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

| | | |
|---|---|---|
| 03. | दिलीप लहरिया | 32-मस्तूरी (अ.जा.) |
| 04. | दीपेश साहू | 69-बेमेतरा |
| 05. | देवेंद्र यादव | 65-भिलाई नगर |
| 06. | द्वारिकाधीश यादव | 41-खल्लारी |

**ध**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | धरम लाल कौशिक | 29-बिल्हा |
| 02. | धर्मजीत सिंह | 28-तखतपुर |

**न**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | नीलकंठ टेकाम | 82-केशकाल (अ.ज.जा.) |

**प**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | पुन्नूलाल मोहले | 27-मुंगेली (अ.जा.) |
| 02. | पुरन्दर मिश्रा | 50-रायपुर नगर (उत्तर) |
| 03. | प्रणव कुमार मर्पची | 24-मरवाही (अ.ज.जा.) |
| 04. | प्रबोध मिंज | 09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.) |
| 05. | प्रेमचंद पटेल | 22-कटघोरा |

**फ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | फूल सिंह राठिया | 20-रामपुर (अ.ज.जा.) |

**ब**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | बघेल लखेश्वर | 85-बस्तर (अ.ज.जा.) |
| 02. | बालेश्वर साहू | 37-जैजेपुर |
| 04. | ब्यास कश्यप | 34-जांजगीर-चांपा |

**भ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | भावना बोहरा, श्रीमती | 71-पण्डरिया |

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

| | | |
|---|---|---|
| 02. | भूपेश बघेल | 62-पाटन |
| 03. | भूलन सिंह मराबी | 04-प्रेमनगर |
| 04. | भैयालाल राजवाड़े | 03-बैकुंठपुर |
| 05. | भोला राम साहू | 77-खुज्जी |

**म**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | मोती लाल साहू | 48-रायपुर ग्रामीण |

**य**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती | 73-खैरागढ़ |
| 02. | योगेश्वर राजू सिन्हा | 42-महासमुन्द |

**र**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | रमन सिंह, डॉ. | 75-राजनांदगांव |
| 02. | राघवेन्द्र कुमार सिंह | 33-अकलतरा |
| 03. | राजेश अग्रवाल | 10-अम्बिकापुर |
| 04. | राजेश मूणत | 49-रायपुर नगर (पश्चिम) |
| 05. | रामविचार नेताम | 07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.) |
| 06. | रामकुमार टोप्पो | 11-सीतापुर (अ.ज.जा.) |
| 07. | रामकुमार यादव | 36-चंद्रपुर |
| 08. | रायमुनी भगत, श्रीमती | 12-जशपुर (अ.ज.जा.) |
| 09. | रिकेश सेन | 66-वैशाली नगर |
| 10. | रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती | 01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.) |
| 11. | रोहित साहू | 54-राजिम |

**ल**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती | 05- भटगांव |
| 02. | लखन लाल देवांगन | 21-कोरबा |
| 03. | लता उसेंडी, सुश्री | 83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.) |
| 04. | ललित चन्द्राकर | 63-दुर्ग ग्रामीण |
| 05. | लालजीत सिंह राठिया | 19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.) |

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**व**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | विक्रम उसेण्डी | 79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.) |
| 02. | विक्रम मण्डावी | 89-बीजापुर (अ.ज.जा.) |
| 03. | विजय शर्मा | 72-कवर्धा |
| 04. | विद्यावती सिदार, श्रीमती | 15-लैलूंगा (अ.ज.जा.) |
| 05. | विनायक गोयल | 87-चित्रकोट (अ.ज.जा.) |
| 06. | विष्णु देव साय | 13-कुनकुरी (अ.ज.जा.) |

**श**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती | 06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.) |
| 02. | शेषराज हरवंश, श्रीमती | 38-पामगढ़ (अ.जा.) |
| 03. | श्याम बिहारी जायसवाल | 02-मनेन्द्रगढ़ |

**स**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | संगीता सिन्हा, श्रीमती | 59-संजारी बालोद |
| 02. | संदीप साहू | 44-कसडोल |
| 03. | संपत अग्रवाल, डॉ. | 40-बसना |
| 04. | सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती | 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) |
| 06. | सुनील सोनी | 51-रायपुर नगर (दक्षिण) |
| 05 | सुशांत शुक्ला | 31-बेलतरा |

**ह**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती | 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.) |

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 22, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई.

**{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}**

**<u>राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान/राज्यगीत</u>**

अध्यक्ष महोदय :- अब सर्वप्रथम राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' और उसके पश्चात् राष्ट्रगान ''जन गण मन'' एवं तत्पश्चात् राज्यगीत ''अरपा पइरी के धार'' होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

**(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्, राष्ट्रगान "जन गण मन" एवं राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" की धुन बजाई गई)**

समय :

11.05 बजे

**<u>निधन का उल्लेख</u>**

**<u>पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई, छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका.</u>**

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका, पद्म विभूषण तीजन बाई का दिनांक 5 जुलाई, 2026 को निधन हो गया। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को ग्राम अटारी, जिला दुर्ग के पारधी परिवार में हुआ था। तीजन बाई का बचपन संघर्षों में बीता। बचपन में ही गांव में पंडवानी के अभ्यास को सुनकर वे पंडवानी से प्रभावित हुईं। उन्हें पंडवानी की शिक्षा उनके नाना बृजलाल जी से मिली एवं 13 वर्ष की उम्र में पहली बार पंडवानी गायन का अवसर मिला। मंचों में कापालिक शैली के गायन के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार तथा अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। सन् 1971 में भिलाई के एक बड़े मंच में हुए कार्यक्रम में उनको प्रसिद्धि मिली, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत भवन भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में पंडवानी की प्रस्तुति दी। वे सन् 1980 के दशक में भारत की सांस्कृतिक राजदूत रहीं। लंदन, फ्रांस, यूरोप, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, पेरिस सहित विश्व के अनेक देशों की उन्होंने यात्रा की। तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पंडवानी को विश्व

पटल पर प्रसिद्धि दिलाई। पंडवानी में कापालिक शैली से महाभारत के प्रसंगों में द्रौपदी चीरहरण, भीम की गर्जना, अर्जुन का गांडीव, कृष्ण-अर्जुन संवाद आदि कथाओं को अपनी विशिष्ट शैली में गायन और अभिनय की अद्भुत कला के द्वारा जीवंत किया। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों में डी.लिट. की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, देवी अहिल्या सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें सन् 1988 में पद्मश्री, सन् 2003 में पद्म भूषण एवं सन् 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीजन बाई ने पंडवानी के प्रति असाधारण प्रतिभा, समर्पण और वर्षों तक पंडवानी की कठिन साधना से छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पंडवानी गायन शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई एवं जीवन पर्यंत प्रचारित करने का काम किया। उनके निधन से प्रदेश तथा देश ने प्रसिद्ध संगीत साधिका और विदुषी पंडवानी गायिका खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद्म विभूषण से सम्मानित, विश्व विख्यात पंडवानी गायिका एवं छत्तीसगढ़ की गौरवशाली लोक संस्कृति की अग्रदूत डॉ. तीजन बाई जी का दिनांक 5 जुलाई, 2026 को दु:खद निधन हो गया। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला और सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। डॉ. तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को अपनाकर उसे नई पहचान दी। उनकी प्रस्तुतियों में गायन, नृत्य और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। पात्रों का सजीव चित्रण, उनकी ओजपूर्ण वाणी और स्वर का उतार-चढ़ाव दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्रियों ने डॉ. तीजन बाई जी के कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी राज्योत्सव में जब रायपुर आये थे, तब उन्होंने डॉ. तीजन बाई के परिजनों से फोन पर बात कर उनका कुशल क्षेम पूछा था। डॉ. तीजनबाई जी का जीवन, संघर्ष, साधना और समर्पण का प्रेरक उदाहरण रहा। जिस समय महिलाओं की पंडवानी गायन में भागीदारी बहुत सीमित थी, उस दौर में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी सशक्त पहचान बनाई और देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर पंडवानी लोक कला का परचम लहराया। एशिया और यूरोप सहित विश्व के अनेक देशों में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित किया। उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाली वे छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति हैं। अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें डी.लिट. की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उनका योगदान भारतीय लोक संगीत

के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। डॉ. तीजनबाई जी हमारी संस्कृति की सशक्त वाहक थीं। उनकी कला, साधना और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने तथा उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। मैं इस सदन की ओर से डॉ. तीजनबाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों, उनके असंख्य प्रशंसकों तथा कला जगत को इस अपार दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग इस सदन में पद्म विभूषण तीजनबाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं। सदन का पहला दिन इन महान हस्तियों के निधन के उल्लेख पर ही शुरू होता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो तीजनबाई को नहीं जानता होगा। उनके गायन, उनकी नृत्य शैली, उनकी आवाज, उनका अभिनय सब कुछ हमारे दिल में है, मन में है और वे हम सबके बड़े निकट रही हैं। पड़ोस में भूपेश भाई जी बैठे हैं। वह बचपन से उनके साथ रही। वह हमें बार-बार उनके किस्से सुनाया करते रहे और हम सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बुलाकर उनको सुनना अपना सौभाग्य माना। अनेक बार हमने अपने क्षेत्र में, चाहे चुनाव में, हर जगह उनको याद करते रहे हैं। आज उनके निधन से हमको बहुत दु:ख है। जहां तक उनकी इस विधा को, उनके गुण को राजीव गांधी जी ने पहचाना और 1988 में उनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। उसके बाद पी.व्ही. नरसिंह राव जी के जमाने में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेई जी ने उन्हें 2003 में पद्म भूषण से नवाजा और जापान से 2018 में फुकुओका पुरस्कार मिला और अंततः नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन्हें 2019 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया है। मैं समझता हूं कि यह सदन का पहला अवसर है कि हम लोग किसी पद्म श्री, पद्म विभूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मगर यह बात भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व रहा, ऐसी महिला रहीं, जिनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है इसलिए हम सब लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोग कहीं भी हमारे छत्तीसगढ़ में छुपे हुए हों, हमारे गांव में छुपे हुए हों, जिस कला को, जिस संस्कृति को, जिस लोक गायक को नहीं पहचाना जाता, उनकी उनके नाम से पहचान की जाये और मैं आप सब से यही आशा करता हूं कि उनके नाम से किसी पुरस्कार की घोषणा की जाये ताकि सबको उनके बारे में जानने का और उनकी दिशा में चलने का एक अवसर मिले। इसी के साथ मैं पूरी पार्टी की ओर से, पूरे सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करता हूं। ओम शांति।

संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन अत्यंत शोक एवं भावविहल मन से छत्तीसगढ़ की गौरव, लोक संस्कृति की अमर साधिका पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजन बाई जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीजन बाई जी ने अपनी अद्भूत प्रतिभा, अथक साधना और सशक्त प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला पंडवानी को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने लोक परंपरा को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया और हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा का प्रेरणादायी उदाहरण है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ का गौरव विश्व भर में बढ़ाया। उनके निधन से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश की सांस्कृतिक दुनिया में एक युग प्रवर्तक लोक कलाकार को खो दिया है। उनका योगदान सदैव हमारी सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा। मैं संस्कृति विभाग की ओर से स्वर्गीय तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संपत परिजनों तथा उनके असंख्य प्रसंशकों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित महिला थीं जिनको श्रद्धांजलि देने के लिये हम सबको इस सदन में आपने अवसर दिया। तीजन बाई का जन्म पाटन ब्लाक के गनियारी गांव में हुआ था। वैसे भी वह पारधी समाज से आती थीं, वह जनजाति बहुत कम छत्तीसगढ़ में है। जिसमें हमारे पाटन ब्लाक में गनियारी, देवबलौदा, अटारी, सोरम, रानीतरई, सांकरा है, इन गावों में पारधी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से इनका काम चिड़िया का आखेट करना, चटाई बनाना, दातून बेचना, इस प्रकार ये यह लोग कार्य करते थे, बैल पालने का भी काम करते हैं। यह समाज बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। फिर भी जो परिस्थिति उनकी रही है, वह बहुत गरीब परिवार में थीं और अनेक जगह बाल्यकाल में ही उनको घर छोड़ना पड़ा, वह चंदखुरी में भी रहीं और मजदूरी भी करती थीं और खेत में ही चाहे वह करमा, ददरिया, पंडवानी हो, सब गाया करती थीं। उनकी आवाज गांव के खेत खलिहान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने स्थान दिलाया। तो कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, ये तीजन बाई जी के जन्म से सीखा जा सकता है। जो परिस्थितियां उनकी थीं, परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी, महिला होने के नाते उस मंच में उनके विरोध का सामना करना और साथ ही ये पंडवानी और भरथरी हमारे केवल छत्तीसगढ़ में ही गाया जाता है। आपको दूसरे अन्य प्रदेशों में पंडवानी गायन नहीं सुनाई देगा। लेकिन उस विधा को उन्होंने अपने कला साधना का माध्यम बनाया। उन्होंने जो ऊंचाई प्राप्त की है, वह किसी के लिये भी प्रेरणा का कारण बन सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम लोग एक ही ब्लाक के, एक ही विधान सभा के रहने वाले हैं, हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध सा था। हमेशा

सुख-दु:ख में चाहे कभी कोई पारिवारिक कार्य हो तो बुला भी लेती थीं। हम लोग जाते भी थे, उनके यहां भोजन भी करते थे और जो सामाजिक परिस्थिति है, उसके बारे में चर्चा भी होती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले जब हम लोग स्कूल में थे, तब भी उनके कार्यक्रम आस-पास के गाँव में जब भी होते थे तो हम लोग उसको देखने रात में साइकिल में, बैल-गाड़ी में जाते थे और उसको सुनते थे, हजारों की भीड़ रहती थी । उस समय का अर्थात् जो प्रारंभिक दौर है तो निश्चित रूप से किसी कलाकार का एक स्वर्णिम काल होता है तो उस दौर में हजारों की भीड़ पंडवानी सुनने के लिए पहुंच जाया करती थी और पूरे छत्तीसगढ़ में जैसा कि डॉक्टर महंत जी ने कहा कि तीजनबाई को कौन नहीं जानता ? तो एक ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति है । छतीसगढ़ ने एक प्यारी बेटी खो दी और पंडवानी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी भाषा को जो मान तीजनबाई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिलाया उसका कोई मुकाबला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और इसके साथ ही उनके परिवार को दुःख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडवानी की अंतर्राष्ट्रीय गायिका, लोक कलाकार, जगत की अधिष्ठात्री तीजनबाई जी का जाना हम पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए, दुर्ग जिलावासियों के लिए ग्राम गनियारी और नगर पालिक निगम क्षेत्र भिलाई के सभी लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है क्योंकि हम सभी लोग यह जानते हैं कि तीजन बाई एक गाँव से निकलकर, चूंकि कई बार ऐसा लगता है की परमात्मा, विधि का विधान भी कैसा है कि बहुत विषम परिस्थिति में जिनका जन्म हुआ और अपने कर्म योग के माध्यम से कर्म योगिनी बनकर गरीबी को, जाति पंथ के भेदभाव को दूर करते हुए सिर्फ दुर्ग नहीं, रायपुर नहीं, भोपाल, मुंबई, दिल्ली और दिल्ली देश सीमा से बाहर देश के 70 से ज्यादा देशों में उन्होंने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी भाषा, लोक-कला, पंडवानी गायन के माध्यम से उन्होंने महाभारत महाकाव्य को उन्होंने मंचन के रूप में छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में प्रसारित किया और विश्व में भी छत्तीसगढ़ी भाषा के द्वारा पहली कोई कला जगत की अधिष्ठात्री हैं जिन्होंने महाभारत महाकाव्य का छत्तीसगढ़ी भाषा में मंचन किया। तम्बूरे के माध्यम से जब वह बोलती थीं, हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ, पहली बार उनको देखने का सौभाग्य मिला और तम्बूरे में जब वह भीम गर्जना करती थीं तो ऐसा लगता था कि साक्षात महाभारत काल में आ गए हैं, भीम यहाँ उपस्थित हो गए हैं । जब वह बोलती थीं कि अर्जुन मारे बाण तो ऐसा लगता था कि अर्जुन गांडीव पकड़कर स्वयं मंच में आ गये, उनकी ऐसी प्रस्तुति होती थी । आज उनका जाना इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिये, कला जगत के लिये बहुत अपूरणीय क्षति है । डेढ़ साल पहले जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम जब हम सब भिलाई गनियारी उनके गृह निवास पहुंचे

तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही उनके आवास पर एक नर्स, एक डॉक्टर 24 घंटे उनके स्वास्थ्य सेवा के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया और उनको अस्पताल में भर्ती होने से डर लगता था तब माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करायी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पहली बार पिछले साल हम लोगों ने उनको एम्स में भर्ती किया और जब उन्होंने एम्स में ही अंतिम सांस ली तो हम सब एक-साथ आई.आई.एम. में जब प्रशिक्षण ले रहे थे तो वहाँ उनकी सूचना गई, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गये और मुझे कहा कि जाकर वहाँ की व्यवस्था देखो और पहली बार गनियारी के इतिहास में इतने बड़े कला जगत के समूह के लोग वहाँ पर आये । अभी मैं कल जब उनके दशगात्र की तैयारी के लिए गया तो मैंने वहाँ देखा, लोगों ने बताया कि हजारों की संख्या में उनके तीजनहावन में कला जगत के ऐसे-ऐसे लोग आये, जिनको कोई नहीं जानता । यह इस बात का प्रमाण है कि पंडवानी ही नहीं पूरे लोककला के क्षेत्र में आज हम सभी के लिये एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है । आज पंडवानी गायिका तीजन बाई को यह जो शोक श्रद्धांजलि हम सब दे रहे हैं उनके लिए हम सब पूरे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ियावासी और लोक कला के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके चाहने वाले, उनके परिजन, परिवारजन और छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़िया लोगों को इस असीम दुख को सहने की क्षमता दे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम अइसे विदुषी महिला जेन छत्तीसगढ़ के कला जगत के पहचान अउ प्रसिद्धि केवल प्रदेश अउ देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ ला एक नाम दिलाये के काम करिन। पद्मश्री साहित्य नाथक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई जी जेकर हमेशा सानिध्य हमन ला, कला जगत के साथी ला मिले। हमन जब भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यक्रम, एस.आर.सी. कला अउ संस्कृति विभाग के कार्यक्रम, महोत्सव होय जब हमन उहां ओमे कलाकार के रूप में प्रस्तुति में जान तो हमन अपन प्रस्तुति के पहिली ओखर मंचीय प्रस्तुति ला देखन। ओकर शैली ओकर  अंदाज, निश्चित ही हम कलाकार साथी मन बर एक प्रेरणा, एक प्रकाशपुंज के तरह रहाए। जे हम सब ला एक संबल प्रदान करे। अउ आज गनियारी से निकलकर, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि पाईस। निश्चित ही ओ हम सब के ओ गौरव के क्षण आज हमर बीच नइ हे। लेकिन हम बचपन से ओला सुनत आत हन। ओकर भाव, ओकर भंगिमा गजब के रहाए। जब ओ तम्बूरा ला पकड़े ओकर बाद प्रस्तुति करे अउ जइसे-जइसे प्रसंग आए ओखर हिसाब से जब प्रस्तुति दे तो निश्चित ही ओ मंच अपन आप में एक अद्भुत रहाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के बात करन तो एक पद्मश्री तीजन बाई जी अउ एक हबीब तनवीर जी  हा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ ला पहचान दिलाये के

काम करिस। हम पूरा कला जगत के तरफ से भी अतका हृदय के साथ ओ परम पिता परात्मा से यही निवेदन करथन कि ओ शोक संतप्त परिवार ला ए दु:ख के बेला में शक्ति दे अउ ओला ए  दु:ख सहन करे के शक्ति प्रदान करे, यही भावना के साथ ओम शांति।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब बड़े भारी और दु:खी मन से हमारे छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की महान साधिका तीजन बाई को सदन में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में तीजन बाई हमारे इस छत्तीसगढ़ से पंडवानी को लेकर, उन्होंने पूरे देश और दुनिया को इस कला से परिचित करवाया है। मैं बस्तर से आता हूँ और  थोड़ी बहुत कला और संगीत के क्षेत्र में मेरा भी रहना हुआ है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि पंडवानी क्या है, पंडवानी क्या कला है, जो इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विविधता को पहली बार अगर मैंने जाना और सुना तो  तीजन बाई जी के मुख से सुना है। पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित होने के बावजूद, मेरा उनसे एक बार मिलना हुआ और मैंने उनका बहुत ही सहज और सरल स्वभाव पाया। यह अपने आप में अद्भुत है। वरना किसी कलाकार को कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो एक अलग सा एटिट्यूट एक नया भाव आ जाता है। लेकिन वास्तव में तीजन बाई छत्तीसगढ़ की संस्कृति, चेतना, लोक परम्परा और हमारा समृद्ध विरासत है, उसकी पहचान थी। उनके निधन पर मैं उन्हें अपनी पार्टी के परिवार की ओर से भी  श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक महान पंडवानी की साधिका को हमारे छत्तीसगढ़ ने खो दिया है। इसका हम सब को बहुत दुख है। मैं उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :-  माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने पंडवानी में कापालिक शैली को पूरे विश्व में स्थापित किया। जिन्होंने गायन, अभिनय से पूरे विश्व को मोहित कर दिया और छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के वृक्ष में सबसे सुंदर, सुगंधित फूल के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला की खूशबू को फैलाया। यहां की संस्कृति और कला की सुंदरता से दुनिया को अवगत करवाया। ऐसी तीजन बाई जी का  यूं जाना समस्त कलाकारों के लिए बहुत बड़ा आघात है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आघात है । राज्य निर्माण से पहले छत्तीसगढ़ को उनके नाम से भी जाना जाता था कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कलाकार हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पण्डवानी को स्थापित किया । हजारों-लाखों कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने उनसे प्रेरणा लीं और उन्होंने जो राह बनाईं, उस राह पर वे कलाकार चलते हुए जीवन में कुछ अर्जित कर रहे हैं । ऐसी प्रेरणादायी तीजन बाई जी को मैं समस्त कलाकारों की ओर से, अपनी ओर से शत्-शत् नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की ताकत दे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में जन्मी तीजन बाई जी को हम लोग सब यहां श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं । मैं भी बचपन से उनकी कला, उनकी पण्डवानी गायन सुनती आई हूं और मैं अपना अनुभव बताती हूं कि बचपन में जब हम लोग उनका कार्यक्रम देखते थे तो मैं उनकी स्टाईल को नकल करने की भी कोशिश करती थी । उनके पैर की जो धमक है, उनका जो तम्बूरा बजाने की स्टाईल है, उन्हें भी मैं करने की कोशिश करती थी, परन्तु हम लोग उस कला में कामयाब नहीं हुए । मध्यप्रदेश में मेरे पतिदेव की पोस्टिंग थी तो वहां उनका कार्यक्रम होता था तो वहां लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को कम समझते हैं, परन्तु उनकी जो अदा है, उनकी जो कला है, उनके बोलने की स्टाईल थी, उनके अभिनय, उनके भाव को समझने की कोशिश करते थे और बड़े मन से लोग वहां बैठे रहते थे। मैं वहां थी तो मैं भी देखने जाती थी क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की कलाकार यहां आई हुई हैं, यह सोचकर मैं पहले ही वहां जाकर बैठ जाया करती थी, पर वहां लोगों के मन में उनके प्रति पण्डवानी गायन को सुनने की जो ललक थी, वह भी देखने को मिली और आज ऐसी विभूति, जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हमारी तीजन बाई जी जो देश और विदेश में भी हमारे छत्तीसगढ़ की ख्याति को बढ़ाईं, वह हम सब महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है, आज छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, हम सब के लिए सम्मान की बात है। मैं ऐसी पद्म विभूषित महिला को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिवार को दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे ।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा (अहिवारा) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई जी अहिवारा विधान सभा क्षेत्र की गौरव थीं । पण्डवानी की गायिका के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ की देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई । महाभारत का जो युद्ध है, उसको अपनी काल्पनिक शैली से प्रस्तुत करने का तरीका और 13 वर्ष की आयु में पण्डवानी गायन प्रारंभ की तो भारत सरकार ने उन्हें बहुत ही सम्मानजनक पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया । उनके जाने से हम सब बहुत दुखी हैं । वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी जो कला है, उनकी जो वाणी है, हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी । बचपन में भी हमने उनकी पण्डवानी सुनी है । उनका जाना निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी क्षति है । अहिवारा विधान सभा की ओर से मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं । भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अच्छे स्थान पर अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । ओम शांति ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई सिर्फ एक पंडवानी गायिका नहीं थीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा थीं। लोक कला की शेरनी थीं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की कहीं न कहीं ध्वजा वाहक थीं। भिलाई के नेहरू कल्चरल हाऊस, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्वावधान में उनका प्रस्तुति होते रहता था। जब हम लोग छोटे थे तो वहां देखने जाते थे। उनकी

कला, गांव के एक चौपाल से लेकर विश्व के पटल पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की माटी की खुश्बू को पहुंचाया, निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई जी की यादें, उनके विचारों, यादों और उनके कला को जीवन भर हमेशा याद रखेंगे। भिलाई को शिक्षाधानी कहा जाता था और बाद में भिलाई कलाधानी बना। यदि भिलाई को कलाधानी बनाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा तो तीजन बाई जी का रहा है। मैं अपने वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद्म विभूषण से सम्मानित श्रीमती तीजन बाई का जाना छत्तीसगढ़ की माटी की बेटी, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का मान-सम्मान, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। महाभारत की कथाओं को पाण्डवों की कथा कहा जाता है, उसको अपने दमदार आवाज के माध्यम से कपालिक शैली, जिसको खड़े होकर अभिनय करके प्रस्तुत करना कहा जाता है, उस माध्यम से पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित करने एवं पहचान दिलाने का काम तीजन बाई ने किया। आज वह हमारे मध्य नहीं है। उनका जन्म दुर्ग के गनियारी ग्राम में हुआ था। पारधी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तीजन बाई का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने नाना बृजलाल जी से प्रेरणा लेकर महाभारत की कहानियों को गाते सुना तब उनकी ही प्रेरणा से अपने नाना से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और गायन प्रारंभ किया। लेकिन उस समय लड़कियों को, विशेषकर उस समाज में पंडवानी गाना बहुत वर्जित माना जाता था। लेकिन सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए इस श्रीमती तीजन बाई ने इस कला को अपनी साधना बनाया और पंडवानी गायन शैली को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। पंडवानी गायन शैली का अर्थ पाण्डवों की वाणी है। तीजन बाई कपालिक शैली की पहली महिला कलाकार थीं, वह अपने हाथ में तंबूरा लेकर गाती थीं। मंच में गायन के माध्यम से महाभारत की विभिन्न किरदार भीम, अर्जुन, दुर्योधन का स्वयं अभिनय करके जीवंत तरीके से प्रस्तुतिकरण करती थीं। प्रमुख स्तर पर वह अभिनय के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे वह पद्म श्री हो, चाहे नाटक अकादमी पुरस्कार हो, चाहे पद्म विभूषण हो, उन्होंने इनके माध्यम से हमारे राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। जब उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया था तब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राज्य अलंकरण सम्मान की भी घोषणा की है। मैं इस बात की जानकारी भी इस सदन को देना चाहता हूं। आज उनका जाना हम सबके लिए बहुत ही पीड़ादायक है। जबकि उन्होंने अपने दम पर हमारे छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंचों पर पहुंचाया। हमने इस महान गायिका को 70 वर्ष की आयु में खोया। आज हम सब यहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु उनको अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

**(सदन द्वारा कुछ देर खड़े रहकर मौन धारण किया)**

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित।

**(11:40 से 11:47 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)**

समय :
11.47 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

**तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

**प्रदेश के जिलों में संचालित बी.एड./डी.एड.महाविद्यालय**

[उच्च शिक्षा]

**1. ( *क्र. 172 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के कितने जिलों में बी.एड./डी.एड. महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है और जिन जिलों में बी.एड./डी.एड.महाविद्यालय नहीं हैं, उन जिलों में कब तक महाविद्यालय खुल जाएंगे ? क्या कोंडागांव जिले में बीएड पाठ्यक्रम चालू करने हेतु शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? **(ख)** शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? संवर्गवार जानकारी दें ? विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कुल छात्र क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? इसके विरुद्ध UGC मानकों के अनुसार कितने शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? **(ग)** क्या वर्तमान समय में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विषयों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती आमंत्रित की गई है जिनमें वर्तमान में कोई छात्र पंजीकृत नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे विषयों एवं पदों का विवरण दें तथा इसका औचित्य क्या है ? क्या पूर्व में भर्ती से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क)** उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जिले में B.ed/D.ed महाविद्यालय संचालित नहीं है। प्रदेश के जिलों में B.ed/D.ed महाविद्यालय का संचालन वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है।**जी हॉ।** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में शैक्षणिक के कुल-

265 पद स्वीकृत एवं कुल-236 पद रिक्त है तथा गैर-शैक्षणिक संवर्ग के कुल-320 पद स्वीकृत एवं कुल-291 पद रिक्त है।**जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में कुल छात्र क्षमता 3300 है तथा वर्तमान में 1898 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके विरुद्ध UGC मानकों के अनुसार 223 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में 29 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं।विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में कुल छात्र क्षमता 44632 है तथा वर्तमान में 21972 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके विरुद्ध UGCमानकों के अनुसार 2037 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए एवं वर्तमान में 292 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं।**(ग) जी हॉ।**शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर द्वारा सांख्यिकी विषय के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु दिनांक 14.03.2026 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिनमें वर्तमान में कोई छात्र पंजीकृत नहीं है।विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

| विषय | पदों का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| | प्राध्यापक | सह-प्राध्यापक | सहायक प्राध्यापक |
| सांख्यिकी | 01 | 02 | 04 |

औचित्य निम्नानुसार है :-

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर वर्ष 2024 से घोषित मेरू विश्वविद्यालय है अर्थात यह विश्वविद्यालय बहुविषयी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित विश्वविद्यालय है। मेरू विश्वविद्यालय के मैनडेट के अनुसार इस विश्वविद्यालय में मल्टी डिस्प्लीनरी, इन्टर डिस्प्लीनरी, ट्रान्स डिस्प्लीनरी तथा गुणवत्तापूर्ण बहुविषयी शोध कराया जाना अनिवार्य गतिविधियों का हिस्सा है।सांख्यिकी एक बहुविषयी विषय है। उदाहरण के लिये सांख्यिकी इकोनामिक्स में इकोनामेट्रिक्स तथा मैथेमेटिकल इकोनामिक्स तथा साइकोलॉजी में साइकोलाजिकल स्टैटिसटिक्स तथा बायोटेक्नॉलाजी में बायोस्टैटिसटिक्स, मैनेजमेंट में बिजनेस स्टैटिसटिक्स के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है।इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक स्तर पर जेनेरिक इलेक्टिव/वेल्यू एडिशन/स्कील इनहेन्समेन्ट अथवा छात्राओं को भी सांख्यिकी विषय का अध्ययन कराया जाता है। यह भी स्पष्ट करना है कि प्रत्येक विषय के शोध (पी.एच.डी.) में आंकड़ों की एनालेसिस प्रश्नोत्तरी से प्राप्त हुये सूचना का एकत्रीकरण तथा सांख्यिकी निष्कर्ष तथा स्टेटिकल एनालेसिस में भी सांख्यिकी विषय का प्रयोग होता है।बस्तर क्षेत्र में सांख्यिकी में शोध को बढ़ावा देने एवं शोध के आधार पर बस्तर अंचल में रिजनल इकॉनामिक की योजना तथा विकास के अन्य मॉडल का निर्माण एवं योजना तैयार करने में भी सांख्यिकी का विशेष प्रयोग भी विश्वविद्यालय की योजनाओं का हिस्सा है।उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-1-8 /2021/38-1 दिनांक 16.10.2024 द्वारा उक्त पदों को वित्त विभाग से भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके परिपालन में भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक

14.03.2026 को जारी किया गया है। वर्तमान में छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रक्रियाधीन है।**जी हॉ,**जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2026 द्वारा शिकायतें निराधार होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, अभी महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कुछ पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, क्या उसमें किसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका निराकरण हो गया?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में अभी शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, और अभी जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें किसी तरह की अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई, यहां पर एक उत्तर में निराकृत भी कहा गया है और उसमें महामहिम जी का भी नाम शायद है, तो मुझे लगता है कि सदन में शायद इस तरह की चर्चा भी और नाम भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, क्या हमारे यहां यूनिवर्सिटी में डी.एड., बी.एड. की क्लासेस चलती हैं क्या?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बी.एड. और डी.एड. की जो क्लासेस हैं, वे अभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अभी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालयों में बी.एड. की क्लासेस प्रारंभ नहीं की गई हैं। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके अनुसार 4 वर्षीय बी.एड. का पाठ्यक्रम होगा, जो अभी छत्तीसगढ़ में किसी महाविद्यालय में शुरू नहीं हुआ है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, यह छत्तीसगढ़ में किन-किन महाविद्यालयों में लागू है? और आई.टी.ई.पी. (I.T.E.P.) के कोर्स प्रदेश में कहां-कहां पर संचालित हैं?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में और सभी विश्वविद्यालयों में लागू है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में लागू है क्या?

श्री टंक राम वर्मा :- जी, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भी लागू है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी में जो उपलब्धता है, उसके अनुसार वर्ष 2020 एन.ई.पी. के तहत महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में डी.एड. एवं बी.एड. का कोर्स संचालित नहीं है। यदि संचालित नहीं है तो इतने लंबे समय के बाद क्यों संचालित नहीं है? क्योंकि आपके द्वारा जवाब में यह जानकारी दी गई है कि महाविद्यालय संचालित नहीं करता है। जब आप बता रहे हैं कि

महाविद्यालय संचालित नहीं करता है तो मुझे लगता है कि कोर्स भी संचालित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मेरू विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, तब आई.आई.एम. और आई.आई.टी. के साथ एम.ओ.यू. की बात भी की गई थी। क्या इस पर कार्यवाही की गयी है या नहीं की गयी है?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। यहां पर मेरू विश्वविद्यालय घोषित है और इसे बहुआयामी विषय शिक्षा शोध संस्थान के रूप में केंद्र सरकार से मान्यता मिली है। अभी वर्तमान में यहां की आवश्यकता को देखते हुए, जिस पर माननीय विधायक जी ने प्रश्न भी लगाया है, यहां पर सांख्यिकी का एक नया विभाग खोल रहे हैं। साथ ही आई.आई.एम. और आई.आई.टी. के साथ हमारे यूनिवर्सिटी का एम.ओ.यू. हुआ है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की जो जानकारी दी है, उसके अनुसार बस्तर में शैक्षणिक के कुल 265 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ 29 पद भरे हुए हैं। गैर-शैक्षणिक में 320 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 291 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग से इसकी सहमति आपको मिल चुकी है या नहीं मिली है? अगर स्वीकृति मिली है, तो इसकी प्रक्रिया कब तक पूरा करेंगे? साथ ही मैंने कहा कि बीच में भर्ती के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको किस एजेंसी के द्वारा आपने जांच करायी है?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 265 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 29 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। वहां पर कुल 31 विभागों में से पांच विभाग अभी प्रारंभ ही नहीं हुए हैं, जिसमें से 90 पद को शून्य माना जाए और उसके बाद 146 पद बच जाते हैं। अभी शेष 146 पदों में से 113 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसका विज्ञापन निकाला जा चुका है और इसमें दावा आपत्ति मंगायी गयी है। इसके साथ ही पद की पूर्ति जल्दी कर ली जाएगी। माननीय विधायक जी ने भर्ती प्रक्रिया में जो शिकायत की बात कही है, वह अभी की नहीं है, बल्कि पिछले समय की है। उसकी जांच हुई है, जांच के पश्चात रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को भेजा गया था। उनका अवलोकन और परीक्षण करने के पश्चात माननीय राज्यपाल, कुलाधिपति के द्वारा दिनांक 13.02.2026 को शिकायत को निराधार होने के कारण इसको नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लता जी ने एक अच्छा विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि प्रदेश में जितने बी.एड. कॉलेज हैं, वहां वर्तमान में दो वर्षीय कोर्स संचालित हैं। वहां इससे पहले दो वर्षीय कोर्स को एन.सी.टी.ई. से मान्यता मिलती थी। प्रश्न यह है कि जितने बी.एड. कॉलेज हैं, उसको आज की तारीख में आई.टी.ई.पी. में

बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान में परिवर्तित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कि आप दो वर्षीय बी.एड. ही चलाएंगे? एक। दूसरा कोंडागांव के लिए आपको जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार आप दो वर्षीय कोर्स खोलने जा रहे हैं या चार वर्षीय कोर्स खोलने जा रहे हैं? यदि आप चार वर्षीय कोर्स खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी है? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामने एक विकट स्थिति है। एन.ई.पी. के तहत जो चार वर्षीय बी.एड. कोर्स खोजा जाना है, वह B++ कॉलेज को ही दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ में एक भी कॉलेज B+ से ऊपर नहीं है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चार वर्षीय बी.एड. कोर्स खुल सके?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रदेश में बी.एड. और डी.एड. हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है । यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम है। हमारा एनएपी के तहत जो आयेगा, वह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है । इनका दो साल का कोर्स होता है । हमारी योजना यह है कि हम वर्ष 2026 में बी.एड. के क्लॉसेस शुरू करेंगे, उसका पहला बैच 2030 में तैयार होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एनएपी लागू होने के बाद जो एनसीटी के बी.एड. कॉलेज है, उसकी प्रदेश भर में मान्यता नहीं रहेगी । मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि दो वर्षीय बी.एड. जो है, उसको चार वर्ष में परिवर्तित करने के लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे उसको आगे मान्यता मिल सके ? दूसरा, BB+ छत्तीसगढ़ में एक भी महाविद्यालय नहीं है तो 4 वर्षीय खोलने के लिये जो प्रस्तावित है और जहां प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में BB+ एक भी महाविद्यालय नहीं है तो आप उसके लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में B+ तक है, वह अधिकतम स्वीकृत हो जाये, समय कम है आप जल्दी उसको बतायें ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारे प्रदेश के बहुत से महाविद्यालय जो है, B++ नहीं है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक भी नहीं है ।

श्री टंकराम वर्मा :- है । 13 महाविद्यालय हैं, जहां पर बी.एड.कॉलेज खोलने की संभावनायें है । यूजीसी का नियम अलग है, यूजीसी से हटकर समकक्ष हम बी.एड. कॉलेज कैसे प्रारंभ करें, उसका मापदंड कैसा हो, इसके लिये टॉस्क फोर्स का गठन किये हैं । टॉस्क फोर्स, यह जो हमारे प्रदेश के संसाधन हैं, जो संरचना है, उसके हिसाब से...।

अध्यक्ष महोदय :- जनक ध्रुव । जवाब पूरा हो गया है । जल्दी प्रश्न कीजिए और जल्दी जवाब लीजिए ।

**छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत गाँवों का बंदोबस्त**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**2. ( *क्र. 85 ) श्री जनक ध्रुव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी गाँव का बंदोबस्त हर कितने साल में होना होता है? राज्य में ऐसे कितने गाँव हैं, जिनका बंदोबस्त राज्य गठन सन 2000 के बाद से, दिनांक 17/06/26 तक नहीं हुआ है? जिलेवार जानकारी दें? ऐसे गाँवों का बंदोबस्त नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है और इन गाँवों के बंदोबस्त कब तक कर लिए जायेंगे?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंकराम वर्मा )** : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी गाँव का सर्वेक्षण एवं भू-राजस्व का निर्धारण सामान्यतः 30 साल में होना होता है । राज्य में कुल 20551 राजस्व ग्राम हैं जिसमें से 19805 ग्राम सर्वेक्षित है तथा 746 ग्राम असर्वेक्षित है, जिसमें से 371 ग्राम में सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है एवं 375 ग्राम में सर्वेक्षण अप्रारम्भ है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है। सर्वेक्षण का कार्य चरणबद्ध रूप से स्वीकृत योजना, वित्तीय प्रावधान, तकनीकी संसाधन की उपलब्धता के आधार पर संपादित किया जाता है। अत: ऐसे गावों का सर्वेक्षण नहीं होने के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । शेष गांवों के सर्वेक्षण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब माननीय मंत्री जी से आ गया है । मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत मद के अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 35 (1) के तहत आने वाले 2027-2028 में जो बंदोबस्त होगा, उसमें पटवारी और बीट गार्ड पटवारी की सीमा के भीतर राजस्व और वन अभिलेख है, उसका बी-1 खसरा उपलब्ध करायेंगे क्या ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में 20,551 राजस्व ग्राम हैं और यहां पर 19805 ग्राम में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है । मैं आपको वही बताऊँगा कि जहां तक सर्वे की बात कर रहे हैं, इसका सर्वेक्षण एक टीम के माध्यम से होता है और इसके लिये हमको सर्वेक्षण कार्य के लिये सरकार के वित्तीय प्रावधान होते हैं, वित्तीय बजट मिलता है । वन भूमि पर पट्टा और सार्वजनिक पट्टा जो है, सर्वेक्षण के बाद कौन सा जमीन राजस्व में आ रहा है, कौन सा जमीन वन भूमि में आ रहा है, वह सर्वेक्षण के बाद क्लियर होगा ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, जहां बंदोबस्त त्रुटि के कारण से हजारों किसान आये दिन राजस्व अमला के पीछे पड़े रहते हैं, जिसके कारण कर्ज लेने

---

[1] परिशिष्ट एक

में हो, खाद लेने में हो, विभिन्न प्रकार के कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आने वाला बंदोबस्त है, उसके पहले ग्राम सभा में क्या b-1 उपलब्ध खसरा उपलब्ध करा देंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त का कार्य आवश्यकतानुसार लगातार चलते रहता है । अभी हमने 11 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिये हैं और 22 जिले के कुल 746 ग्रामों में सर्वेक्षण का काम बाकी है, उसमें से 371 ग्रामों में सर्वेक्षण का काम चल रहा है और 375 ग्रामों में कई वजह से सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हुआ है । हमारा प्रयास है कि सभी किसानों का खसरा, नक्शा, बटांकन, सीमांकन स्पष्ट हो, ताकि किसी भी प्रकार से किसानों के बीच में विवाद न हो ।

श्री जनक ध्रुव :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- एक सेकण्ड में क्या पूछोगे ? प्रश्नकाल समाप्त ।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

**(1) छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 पटल पर रखता हूं।

**(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं।

**(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक**

**(i) अधिसूचना क्रमांक 120/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 तथा**

**(ii) अधिसूचना क्रमांक 121/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्त के लिये रूपरेखा) विनियम, 2026**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 120/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 121/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा

अधिसूचित छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्त के लिये रूपरेखा) विनियम, 2026 पटल पर रखता हूं।

**(4) अधिसूचना क्रमांक RULE-503/25/2026-SECTION (MGNREGA), दिनांक 25 जून, 2026 द्वारा अधिसूचित "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़"**

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 36 सन् 2025) की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-503/25/2026-SECTION (MGNREGA), दिनांक 25 जून, 2026 द्वारा अधिसूचित "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़" पटल पर रखता हूं।

**(5) गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25**

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 पटल पर रखता हूं।

समय :
12.02 बजे

**फरवरी-मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना।**

अध्यक्ष महोदय :- फरवरी-मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12.03 बजे **नियम 267-"क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-"क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं नियम 267-"क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12.03 बजे **राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना -

"छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26/05/2026 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" पारित कर संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्र कमांक F.No.17/62/2017-Judl.&PP, दिनांक 19.03.2026 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को प्राप्त हुआ है कि विधेयक की तीन प्रमाणिक प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतद् द्वारा मूलतः वापस की जा रही है।

अतः विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (कमांक 15 सन् 2017)" लौटाया जाता है।

**मननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक का पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाया गया "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार मैं "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12.06 बजे **राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना (जुलाई, 2026 सत्र)**

अध्यक्ष महोदय :- षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में पारित कुल 8 विधेयकों में से सभी 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में पारित कुल 8 विधेयकों में से सभी 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :

12.07 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

**उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 2025 के ''उत्कृष्ट विधायक'' हेतु सत्ता पक्ष की ओर से माननीय श्री धरमलाल कौशिक एवं विपक्ष की ओर से माननीय श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह का चयन किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

''उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार'' हेतु दैनिक समाचार पत्र ''पत्रिका'' के संवाददाता श्री संतराम साहू का तथा ''उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर'' हेतु IBC 24 के रिपोर्टर श्री सौरभ सिंह परिहार एवं डॉ. राजेश राज का चयन संयुक्त रूप से किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मेरी एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों, पत्रकार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टरों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

**सदन को सूचना**

**(1) उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन.**

अध्यक्ष महोदय :- ''विधान सभा परिसर स्थित नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण'' तथा ''उत्कृष्ट विधायक'', ''उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार'' एवं ''उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर'' को पुरस्कृत करने हेतु ''उत्कृष्टता अलंकरण समारोह'' माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा के परिसर स्थित प्रेक्षागृह में बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 को सायं 05:30 बजे से आयोजित किया गया है।

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं पश्चात् रात्रि भोज आयोजित है।

आप समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

**(2) एक पेड़ "मां" के नाम अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन.**

अध्यक्ष महोदय :- कल दिनांक 14 जुलाई, 2026 को दोपहर 01:30 बजे विधान सभा परिसर में वन विभाग की ओर से एक पेड़ "मां" के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें।

**पृच्छा**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं अपनी बात रख सकता हूं? आज मैं भारी मन से और गहरी पीड़ा के साथ इस गरिमामयी सदन में खड़ा हुआ हूं। एक विपक्ष के नेता के नाते नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के उन 3 करोड़ राम भक्तों की आवाज बनकर मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं। जिनकी आस्था के साथ, विश्वास के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। जिनकी गाढ़ी कमाई व राम मंदिर बनाने के लिए हम सब लोगों ने दान किया था।

डॉ. चरणदास महंत :- राम मंदिर बनाने के लिए हम सब लोगों ने दान किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी यहां चाहे किसी भी भूमिका में खड़े हों, लेकिन वह विषय तो विधान सभा का लाये। यह यहां भावनात्मक तस्वीर बांध रहे हैं कि मैं नागरिक के तौर पर ऐसा खड़ा हो रहा हूं, वैसा खड़ा हो रहा हूं। हम भी चमत्कृत थे कि कुछ स्पेशल चीजें आ रही है। यह आस्था का विषय है, वह तो ठीक है लेकिन यह विधान सभा का विषय नहीं है। जो विधान सभा का विषय नहीं है, उसको क्यों उठा रहे हैं ? वह आस्था का विषय है तो आप उसको कहीं पर जाकर प्रकट करिये। वह विधान सभा का विषय थोड़ी न है।

श्री दिलीप लहरिया :- छत्तीसगढ़ से भी चंदा गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, चंदा में छत्तीसगढ़ की जनता का भी पैसा लगा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बातों में छत्तीसगढ़ का विषय ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधान सभा में किस विषय में चर्चा हो सकती है, उनको पता है, वह सभी विधान सभा में सम्मानित सदस्य रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नेता जी माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नहीं। वे शून्यकाल में बोल सकते हैं लेकिन क्या विषय बोले वह महत्वपूर्ण है। लेकिन वे किस विषय में बात कर रहे हैं, वह विषय महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वे माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को अपनी बात रखने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- शून्यकाल में किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपनी बात कह सकते हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- पहले उनको बोलने दीजिये, उसके बाद आप बोलिये। वे नेता प्रतिपक्ष जी है, उनको अपनी बात तो रखने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यदि शून्यकाल है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने शून्यकाल में किस चर्चा का नोटिस दिया है ? पहले वह यह बता दें कि उन्होंने नोटिस दिया है या नहीं दिया है। किसी भी विषय में थोड़ी न भाषण हो सकता है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आदरणीय चंद्राकर जी, आप [xx] को इतना क्यों बचा रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- ऐसे लागत हे कि इही चुराये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है कि बलौदा बाजार का रास्ता उधर है। आप आस्था की रक्षा करने गये थे। आप बलौदा बाजार में कौन-सी आस्था दिखाने गये थे, वह मैं अच्छे से जानता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्राकर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 को आप लोगों ने अपनी भावना को यहां प्रस्तुत करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव दिया था, जिस पर चर्चा हुई थी। यदि आप इस चोरी को भी अपनी भावना, अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ जोड़ते हैं तो आप निंदा प्रस्ताव ले आईये, हम साथ बैठते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें दिक्कत किस बात की है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि आप हमारी बात का उल्लेख कर रहे हैं तो पूरी तरह उल्लेख करिये न कि हमने किस चीज में बात की थी।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं कर रहा हूं, आप बैठिये। आपने मंदिर बनने का जो प्रस्ताव दिया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप शून्यकाल में बिना नोटिस के किसी भी विषय में भाषण थोड़ी न दे सकते हैं। आपको बोलने की सारी स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन किसी भी विषय में बोलने की स्वतंत्रता सदन में किसी को भी प्राप्त नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने यहां जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया था। छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा जो आपके चंदा [xx] में चला गया, मैं उस पर बोल रहा हूं। मैं किसी की निंदा थोड़ी न कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह [xx] की भाषा का उपयोग करना आपत्तिजनक है। आप बताईये कि कौन लूटा है ? आपने [xx] शब्द का इस्तमाल किया है, किसने लूटा है ?

डॉ. चरणदास महंत :- [xx]  हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसने [xx] की, क्या [xx]  हुआ है ?

डॉ. चरणदास महंत :- क्या आप मुझसे पूरी बात सुनना चाहते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, आप जब बोल रहे हैं तो पूरी बात सुनाईये ना। आप हवा-हवाई बात मत कीजिए। हवा-हवाई बात करने के लिए यह सदन नहीं है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिये। वे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] (व्यवधान)।

श्री नीलकंठ टेकाम :- जिन्होंने राम को माना ही नहीं उनको यह बोलने का क्या अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- (व्यवधान) घपला कर दिये थे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अउ [xx]  हैं।

श्री रोहित साहू :- ये चंदखुरी के राम भगवान की मूर्ति में भी अपमानित करने का काम किये थे।

श्री ललित चंद्राकर :- पैसा कौन दिखात रिहीसे सब कोई देखे हे गा।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। शून्यकाल में आप बोलने के लिये खड़े हुए थे तो संक्षिप्त में जो शून्यकाल की सूचना है, आप उसको बोलकर समाप्त करें। और अन्य लोग बोलेंगे। यदि शून्यकाल की कोई सूचना है तो आप बोलिये।

डॉ. चरणदास मंहत :- महाराज, जिस त्रिलोकीनाथ की चर्चा स्वर्ग में होती है, जिस राम की चर्चा स्वर्ग में होती है, दुर्भाग्य की बात है कि उस राम की चर्चा को यहां करने के लिये आप रोक रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम रोक नहीं रहे हैं, हम किसी चर्चा को नहीं रोकेंगे, लेकिन आप प्रक्रियागत ढंग से चर्चा कीजिए न। जो विधान सभा के विषय हैं, उसमें चर्चा कीजिए। आप नोटिस दीजिए। आप शून्यकाल में बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन कोई भी विषय में बिना नोटिस के नहीं बोल सकते हैं। विधान सभा में आपके लिये कोई अलग प्रक्रिया नहीं बनाई जायेगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक वहां दर्शन करने के लिये नहीं गया, वह आज वहां की चर्चा की बात कर रहे हैं।

डॉ. चरणदास मंहत :- हम प्रक्रिया में हैं। हम प्रक्रिया में आये हैं। ध्यानकर्षण दिया है। आप लोगों ने अपने संख्या के आधार पर जिन बातों का यहां जिक्र किया है, अपनी भावनाओं के आधार पर आपने यहां कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव लाया था जिसमें आपने सिर्फ हमें गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया। उस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आप जब लायें तो यहां की चर्चा का विषय बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, यहां के बड़े-बड़े विद्वान व्यक्ति बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रस्ताव लाया था और इतने विद्वान व्यक्ति जो खड़े होकर हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, अजय चन्द्राकर जी ने, रामविचार नेताम जी ने, धरमलाल कौशिक जी ने, अरूण साव जी ने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपसे प्रक्रिया में बोलने की बात कर रहा हूं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे सम्मान के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं।

डॉ. चरणदास मंहत :- मैं प्रक्रिया में बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि बृजमोहन अग्रवाल जी ने बात की थी तो प्रक्रिया में की थी। आप क्या बात करना चाहते हैं, उसकी नोटिस दीजिए। फिर उसके बाद बात कीजिए।

डॉ. चरणदास मंहत :- हमने नोटिस दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी बोलेंगे या आप बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप प्रक्रिया में लाईये न।

डॉ. चरणदास मंहत :- उस दिन इन लोगों ने बहुत बड़ी आस्था, विश्वास, प्रेम, समर्पण की बात कर रहे थे। आज उसी राम की चर्चा हम कर रहे हैं तो हम यहां कुछ नहीं कर करते, बात नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, ये कौन सा तरीका है? आप इतने निष्ठुर हो गये हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंहत जी, आप बिल्कुल चर्चा कर सकते थे और कर सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी, आपके नेता तो राम का अस्तित्व ही नकारते हैं। (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- राम जी के दर्शन के लिये भी नहीं गये।

श्री रामकुमार यादव :- हमारे नेता पदयात्रा कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहास में यह दर्ज है कि कभी-कभी शैतान भी बाइबिल पढ़ता है।

डॉ. चरणदास मंहत :- चलिये, आपका कहना हम मान लेते हैं कि हम शैतान हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतिहास में यह कहानी है। आप तो मेरे आदरणीय हैं, मैं आपको कैसे बोल सकता हूं।

डॉ. चरणदास मंहत :- उसी बाइबिल में तो लिखा है कि- Love is God, God is Love. तो भगवान प्यार है, प्यार भगवान है, ये भी तो लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में नेता प्रतिपक्ष को कहीं पर भी बोलने को अधिकार है, यह मानते हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि आज मैं नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नहीं खड़ा हूं। इसलिए उनको शून्यकाल में कोई भी विषय लेने का अधिकार नहीं है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का अपमान न करें।

डॉ. चरणदास मंहत :- आप धन्य हैं। आप जैसे विद्वान पूरे देश में आ जायें तो विश्व गुरू बन जायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि स्थगन दिया हुआ है और स्थगन की विषयवस्तु से जुड़े मामले माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उठा रहे हैं और वह बात रखने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्थगन के विषय, राज्य के विषय होंगे।

श्री भूपेश बघेल :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको सिखाऊं, आपको काटूं, अच्छा नहीं लगता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- राज्य के लोगों ने चंदा दिया है।

डॉ. चरणदास मंहत :- आप चर्चा कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, जब शिलापूजन के लिये यहां से चंदा गया, मंदिर निर्माण के लिये चंदा गया, छत्तीसगढ़ के लाखों लोग जाकर वहां चढावा दिये और उसमें जब [xx] पड़ गई तो छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [xx] हुई है, [xx] हुई है। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन [xx] किया है?

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मेरे पास अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की दान राशि की चोरी के संबंध में माननीय 35 सदस्यों की ओर से स्थगन सूचना प्रस्ताव प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त प्रस्ताव की विषयवस्तु छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित नहीं है, इसलिए इसे मैंने अपने कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- [XX][2]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX] (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- [XX]

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- [XX]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री देवेन्द्र यादव :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

डॉ. चरणदास मंहत :- [XX]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्रीमती संगीता सिन्हा :- [XX]

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]

श्री देवेन्द्र यादव :- [XX] (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- [XX]

श्रीमती शेषराज हरवंश :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री सुशांत शुक्ला :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]

श्री देवेन्द्र यादव :- [XX] (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री दिलीप लहरिया :- [XX]

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]

श्री अजय चंद्राकर :- [XX] (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- कोई, रिकॉर्ड में कुछ नहीं आ रहा है । मैंने व्यवस्था दे दी है और उस व्यवस्था के बाद हम आगे बढ़ते हैं । आगे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है, उस पर चर्चा करेंगे तो इसीलिये कृपया आप सभी से आग्रह है कि शांति से बैठें ।

श्री दिलीप लहरिया :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री दिलीप लहरिया :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [3][XX] (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री दिलीप लहरिया :- [XX]

श्री सुशान्त शुक्ला :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

डॉ. चरणदास महंत :- [XX](व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री प्रबोध मिंज :- [XX]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX](व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।



अशासकीय प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- [XX] [4]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी, आप बैठिए। जब मैंने स्थगन अग्राह्य कर दिया है तो कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप इतना बोले जा रहे हैं तो आपका गला दर्द होगा।

श्री भूपेश बघेल :- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX](व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- [XX]

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX](व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

**(12.28 से 12.48 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)**

समय :-
12:48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- [XX]

समय :-
12:48 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026 में लिए गए निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख समय के निर्धारण की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

| **शासकीय विधि विषयक कार्य** | **निर्धारित समय** |
|---|---|
| 1. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 | 30 मिनट |
| 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 | 30 मिनट |

अध्यक्ष महोदय :- इसके संबंध में संसदीय कार्यमंत्री श्री केदार कश्यप जी प्रस्ताव रखेंगे ।

---

[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**सदन की कार्यवाही के प्रकाशन/प्रसारण संबंधी निर्देश**

अध्यक्ष महोदय :- मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि सभा की कार्यवाही के संबंध में सूचनाओं के प्रचार-प्रसार व समाचार के प्रसारण के पूर्व आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए तथा सभा की कार्यवाही की शोधित प्रति और संक्षिप्त कार्य विवरण से पुष्टि उपरांत प्रचारित और प्रसारित करें, धन्यवाद ।

**पृच्छा**

डॉ. चरण दास महंत :- [XX] [5]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

डॉ. चरण दास महंत :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्रीमती भावना बोहरा :- [XX]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

---

[XX][5] (माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राहय किये जाने की व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव की सूचना के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा पुनर्उल्लिखत कथन रिकॉर्ड में नहीं लिये गये)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] [6]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

एक माननीय सदस्य :- [XX]

श्री धरम लाल कौशिक :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री लखेश्वर बघेल :- [XX]

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

एक माननीय सदस्य :- [XX]

श्री भूपेश बघेल :- [XX]

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

श्री धरम लाल कौशिक :- [XX]

श्रीमती अंबिका मरकाम :- [XX]

श्रीमती रायमुनी भगत :- [XX]

श्रीमती उद्धेश्वर पैकरा :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री विक्रम मण्डावी :- [XX]

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX]

श्री रिकेश सेन :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्रीमती भावना बोहरा :- [XX]

श्री उमेश पटेल :- [XX]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

---

[XX][6] (माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राहय किये जाने की व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव की सूचना के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा पुनर्उल्लिखत कथन रिकॉर्ड में नहीं लिये गये)



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विक्रम मण्डावी :- [XX] [7]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

श्री विक्रम मण्डावी :- [XX]

एक माननीय सदस्य :- [XX]

श्री रोहित साहू :- [XX]

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- [XX]

श्री दीपेश साहू :- [XX]

श्री रोहित साहू :- [XX]

श्रीमती शकुंलता सिंह पोर्ते :- [XX]

श्री रोहित साहू :- [XX]

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- [XX]

श्री अरूण साव :- [XX]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]

श्री केदार कश्यप :- [XX]

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- [XX]

श्री रोहित साहू :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यवाही में अंकित ध्यानाकर्षण सूचना कल लिये जायेंगे। सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

**(12 बजकर 57 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 23 शक संवत 1948) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित हुई)**

**दिनेश शर्मा**

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसढ़) **सचिव**

दिनांक :- 13 जुलाई, 2026 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

---

[XX][7] (माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राहय किये जाने की व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव की सूचना के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा पुनर्उल्लिखत कथन रिकॉर्ड में नहीं लिये गये)



अशोधित प्रकाशन के लिये नहीं